न्यायालय सेशन न्यायाधीश, अजमेर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – विक्रान्त गुप्ता, (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

फौजदारी अपील संख्या 72/2026
सी.एन.आर.नम्बर RJAJ010005832026

दिलीप गुर्जर पुत्र श्री नारायण गुर्जर, निवासी वार्ड नम्बर 23, जवाहर की नाडी भाटिया गार्डन के पास, अजमेर।

–– अपीलार्थी–परिवादी

बनाम

1. प्रवीण सिंह पुत्र श्री धनसिंह, निवासी वार्ड नम्बर 23, जवाहर की नाडी, एच.एम.टी. के पीछे, अजमेर।

– प्रत्यर्थी–अभियुक्त

2. राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक, अजमेर।

–– प्रत्यर्थी

फौजदारी अपील अन्तर्गत धारा 413 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विरूद्ध निर्णय दिनांक 21.01.2026, जो विजेन्द्र कुमार मीणा, विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) संख्या–4, अजमेर, द्वारा फौजदारी प्रकरण संख्या 1239/2023 (836/2017) (सी.आई.एस.नं. 6387/2019) दिलीप गुर्जर बनाम प्रवीण सिंह में पारित किया गया।

उपस्थित

1– श्री अजय वर्मा, अधिवक्ता, अपीलार्थी–परिवादी की ओर से।
2– श्री जगत सिंह, विद्वान अधिवक्ता, प्रत्यर्थी–अभियुक्त की ओर से।
3– श्री जे.पी.शर्मा, विद्वान लोक अभियोजक, राज.राज्य की ओर से।

निर्णय **दिनांक–28.07.2026**

1. यह फौजदारी अपील अपीलार्थी–परिवादी दिलीप गुर्जर द्वारा विद्वान विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, (एन.आई.एक्ट प्रकरण) संख्या 4, अजमेर द्वारा फौजदारी प्रकरण संख्या 1239/2023 (836/2017) दिलीप गुर्जर बनाम प्रवीण सिंह, अपराध अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम,1881 (जिसे आगे, अधिनियम,1881'' कहकर सम्बोधित किया जावेगा) में पारित निर्णय दिनांक 21.01.2026 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा उन्होंने प्रत्यर्थी–अभियुक्त को अधिनियम,1881 की धारा 138 के तहत दोषमुक्त किया है।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थी–परिवादी दिलीप गुर्जर ने न्यायालय विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) संख्या–3, अजमेर में प्रत्यर्थी–अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 07.04.2018 को एक परिवाद–पत्र पेश किया, जो कालान्तर में वास्ते निस्तारण न्यायालय विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) संख्या–4,

अजमेर में अन्तरित किया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अभियुक्त की परिवादी से जान पहचान व आपस में परिचित होने के कारण अभियुक्त ने अपने मकान के निर्माण हेतु आवश्यकता होने से परिवादी से नौ लाख रूपये उधार लिये। उक्त राशि की अदायगी हेतु अभियुक्त ने परिवादी के पक्ष में एक चैक संख्या 900853 दिनांक 19.08.2017 राशि 9,00,000/–रूपये का भारतीय स्टेट बैंक, शाखा एच.एम.टी. ब्यावर रोड़, अजमेर का अपने हस्ताक्षर कर परिवादी के नाम जारी किया। अभियुक्त ने परिवादी को यह विश्वास दिलाया कि उक्त चैक को चैक में अंकित दिनांक व उसके पश्चात प्रस्तुत करने पर चैक में वर्णित राशि का भुगतान परिवादी को प्राप्त हो जाएगा। अभियुक्त की बात पर विश्वास कर परिवादी ने अभियुक्त द्वारा अदा किया गया चैक का भुगतान प्राप्त करने के लिए अपने बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा रामगंज, अजमेर में प्रस्तुत किया। उक्त चैक दिनांक 24.08.2017 को अपर्याप्त निधि के कारण अनादरित हो गया, जिसकी सूचना परिवादी के बैंक द्वारा देकर लौटा दिया गया। अभियुक्त ने अपने खाते में पर्याप्त राशि नहीं होते हुए भी जानबूझकर बदनियति से परिवादी की राशि हड़पने की नियत से उक्त चैक जारी किया। चैक अनादरित होने के पश्चात परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 01.09.2017 को अभियुक्त को जारी किया, जो दिनांक 06.09.2017 को प्राप्त हो गया, उक्त नोटिस का जवाब अभियुक्त ने गलत, झूठे, मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर प्रेषित करते हुए चैक में वर्णित राशि का भुगतान परिवादी को आज तक नहीं किया। इस प्रकार प्रत्यर्थी–अभियुक्त का कृत्य एन.आई.एक्ट की धारा 138 के तहत दण्डनीय अपराध होने से उसे दण्डित किया जाकर दुगुनी राशि दिलाये जाने का निवेदन किया।

3. उपरोक्त परिवाद–पत्र प्रस्तुत होने पर परिवाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 06.11.2017 को अभियुक्त के विरूद्ध उक्त अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर, अभियुक्त को तलब किया गया। दिनांक 11.04.2018 को अभियुक्त को धारा 138 एन.आई.एक्ट का आरोप सारांश सुनाया व समझाया गया, जो अभियुक्त ने अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही, तब साक्ष्य अभियोजन में पी.डब्ल्यू 1 दिलीप गुर्जर के बयान लेखबद्ध किये गये एवं दस्तावेजी साक्ष्य में –

क्र.सं.	प्रदर्श	प्रदर्श का विवरण
1	प्रदर्श–1	असल चैक
2	प्रदर्श–2	चैक रिटर्न मीमो
3	प्रदर्श–3	विधिक नोटिस
4	प्रदर्श–4	पोस्टल रसीद
5	प्रदर्श–5	प्राप्ति स्वीकृति
6	प्रदर्श–6 लगायत प्रदर्श–9	बैंक की असल पासबुक डायरियां

को प्रदर्शित कराया गया। अभियुक्त का परीक्षण अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. किया गया, तो उसने परिवादी साक्ष्य को गलत होना बताते हुए कथन किया कि शीला नामक महिला, जो कि उनके पड़ोस में रहती थी, जो कि प्रवीण व उसे दोनों को अच्छे से जानती थी। शीला को पति के इलाज के लिए पचास हजार रूपये की जरूरत थी। दिलीप ने शीला को पचास हजार रूपये उधार दिये। शीला के पास चैक नहीं था। उसने बतौर गारंटर चैक गुडफैथ में दिलीप को दिया था। शीला ने उधार राशि भी दिलीप को चुका दी। दिलीप ने उसे भी इसकी जानकारी दे दी थी। उसके द्वारा चैक मांगे जाने पर दिलीप ने बहाना करते हुए कहा कि उसने चैक दूसरी जगह रख दिया है। नोटिस के आने पर उसने दिलीप को यह बोला था कि जो चैक उसने लगाया है, वह गलत है, तब दिलीप ने आश्वासन दिया कि घरवालों ने गलत फहमी में यह चैक लगा दिया है, वह चैक लौटा देगा। दिलीप ने रिपोर्ट करवाने के लिए भी मना किया। दिलीप ने कहा कि वह उसके साथ धोखा नहीं करेगा। दिलीप ने कहा कि उसके पिता की गलती की वजह से चैक उसको लौटा देगा। वह निर्दोष है। उसे झूठा फंसाया गया है, के कथन किये। साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा। तत्पश्चात बहस अंतिम सुनकर विद्वान विचारण न्यायालय ने आलौच्य निर्णय दिनांक 21.01.2026 को पारित करते हुए प्रत्यर्थी–अभियुक्त को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किया गया, जिससे व्यथित होकर हस्तगत अपील अपीलार्थी–परिवादी ने प्रस्तुत की गई है।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी–परिवादी की ओर से यह बहस की गई है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध त्रुटिपूर्ण होकर तथ्यों के विश्लेषण में गम्भीर भूल की गई है। उनका तर्क है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने बिन्दु संख्या–ख को निर्धारित करने में गम्भीर त्रुटि की है। उनका तर्क है कि निर्णय के पैरा संख्या–26 में विद्वान विचारण न्यायालय ने यह विधि विरूद्ध निष्कर्ष दिया है कि " लेकिन प्रदर्श 2 बैंक अनादरित मीमो से यह दर्शित होता है कि उक्त चैक दिनांक 24.08.2017 को अनादरित हुआ। अतः उक्त चैक का वैद्यता अवधि में भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत किया जाना स्पष्ट है तथा अभियुक्त की ओर से उक्त तथ्य का किसी तरह से कोई खण्डन नहीं किया गया है। जहां तक चैक अनादरित होने का तथ्य है तो इस संबंध में परिवादी द्वारा स्वयं के साक्ष्य शपथ–पत्र में कथन किया गया है कि चैक प्रदर्श 1 बैंक में प्रस्तुत किए जाने पर बैंक द्वारा उक्त चैक दिनांक 24.08.2017 को "Funds Insufficient" के रिमार्क के साथ बैंक अनादरित मीमो प्रदर्श 2 सहित परिवादी को लौटा दिया गया, लेकिन बैंक अनादरित मीमो प्रदर्श 2 के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि उक्त मीमो पर ना तो बैंक के अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर है और ना ही बैंक की ऑफिसियल सील है। इस स्थिति में यह सन्देह से परे नहीं कहा जा सकता है कि प्रदर्श 2 किसी बैंक अधिकारी द्वारा ही ओफिशियल कैपेसिटी में जारी किया गया था। फलतः

प्रदर्श 2 के माध्यम से प्रश्नगत चैक के अनादरण का तथ्य सन्देह से परे प्रमाणित नहीं होता है। अतः उपरोक्तानुसार विचारणीय बिन्दु (ख) अभियुक्त के पक्ष में निर्धारित किया जाता है।" उनका तर्क रहा है कि प्रदर्श–2 के अवलोकन मात्र से यह प्रकट होता है कि यह बैंक का मीमो है, जिस पर यद्यपि प्रदर्श–2 डाला गया है, परन्तु इस पर बैंक की सील मोहर तथा बैंक के अधिकारी के हस्ताक्षर इत्यादि अंकित नहीं है। उनका तर्क है कि किसी भी दस्तावेज पर प्रदर्श डालने मात्र से वह साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होता है तथा उसकी साक्ष्य में ग्राह्यता पर निर्णय के समय विचार करना आवश्यक है, जिसका नजर अंदाज करते हुए विद्वान विचारण न्यायालय ने आलौच्य निर्णय पारित किया है। उनका यह भी तर्क है कि मीमो में यदि कोई त्रुटि होती है तो वह पूरी अन्वीक्षा को शून्य नहीं कर सकता है। उनका यह भी तर्क है कि अभियुक्त ने चैक देयता चुकाने के लिए दिया था, न कि सुरक्षा के लिए, यह साबित नहीं कर सका है। उनका यह भी तर्क है कि चैक रिर्टन मीमो पर बैंक की मोहर या हस्ताक्षर नहीं होने से वह अमान्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि बैंकर बुक एविडेन्स एक्ट, 1991 के तहत यह ऐसा दस्तावेज नहीं है, जिसे विशेष प्रमाण की आवश्यकता हो। अतः चैक रिटर्न मीमो में कोई कमी होने से पूरी ट्रायल रद्द नहीं हो सकती। उनका यह भी तर्क है कि अभियुक्त की ओर से चैक अनादरण मीमो प्रदर्श–2 पर प्रदर्श अंकित करते समय किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं की गई, ना ही इस संबंध में परिवादी से विस्तृत रूप से जिरह की गई है। उनका यह भी तर्क है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने आलौच्य निर्णय के पैरा संख्या 17 लगायत 19 में परिवादी की आर्थिक क्षमता के बारे में जो विवेचन व विश्लेषण किया है, वह विधि विरूद्ध है। उनका यह भी तर्क है कि विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी–अभियुक्त ने चैक प्रदर्श–1 पर अपने हस्ताक्षर होने से इंकार नहीं किया है। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी–अभियुक्त द्वारा अपने विधिक दायित्व के अधीन उधार ली गई राशि का भुगतान अपीलार्थी–परिवादी को करने की एवज में चैक जारी किया जाना, जारी शुदा चैक के समाशोधन हेतु बैंक में प्रस्तुत किये जाने पर अपर्याप्त निधि के साथ अनादरित हो जाने, अनादरण के पश्चात प्रत्यर्थी–अभियुक्त को अपीलार्थी–परिवादी द्वारा विधिक नोटिस प्रेषित करने, विधिक नोटिस की निहित समयावधि के भीतर अपीलार्थी–परिवादी को चैक में वर्णित राशि का भुगतान प्रत्यर्थी–अभियुक्त द्वारा नहीं किये जाने के तथ्य संदेह से परे विद्वान विचारण न्यायालय में साबित किये जाने के बावजूद भी प्रत्यर्थी–अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया है, जो कि विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

5. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी–अभियुक्त की ओर से बहस के दौरान तर्क दिया गया है कि प्रदर्श–2 के अवलोकन मात्र से यह प्रकट होता है कि यह स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया का कागज है, जिस पर रिटर्न मीमो तथा तारीख 24.08.2017 अंकित है। इस

कागज के अनुसार मीमो द्वारा सूचना बैंक ऑफ बड़ौदा को अकाउंट नम्बर 46530100000400 के संबंध में दी गई है। उक्त अकाउंट दिलीप गुर्जर पुत्र नारायण गुर्जर के नाम से है, जिसमें चैक की संख्या 900853 तथा राशि 9,00,000/–रूपये दर्शायी गयी है। उनका तर्क है कि प्रदर्श–2 में यह अंकित है कि अपर्याप्त निधि के कारण से चैक अनादरित हुआ है। उनका तर्क है कि इससे अपने आपमें यह साबित होता है कि यह दस्तावेज साक्ष्य में बिना बैंक अधिकारी की सील मोहर व हस्ताक्षर के ग्राह्य नहीं है। उनका तर्क है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने चैक अनादरण मीमो पर बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर तथा सील न होने मात्र के आधार पर इस दस्तावेज पर अविश्वास जताया है, जो तर्क पूर्ण है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पूर्णतया विधिसम्मत है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि पत्रावली पर अपीलार्थी–परिवादी की ओर से जो साक्ष्य पेश की गई है, उसमें गम्भीर विरोधाभास है, जिससे आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं मानकर प्रत्यर्थी–अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने का जो निर्णय पारित किया है, वह विधिनुकूल है, जिसमें हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं होने के कारण अपीलार्थी–परिवादी की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

6. विद्वान लोक अभियोजक ने विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

7. उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया। अपील व विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया।

8. विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि चैक अनादरण मीमो प्रदर्श–2 जो कि एक कम्प्युटर से जनरेटेड दस्तावेज है। उक्त कम्प्यूटरीकृत दस्तावेज प्रदर्श–2 के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि इस पर किसी भी प्रकार की बैंक की सील व संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। यह स्वीकृत स्थिति है कि प्रदर्श–2 दस्तावेज चैक संख्या–900853 के अनादरण से संबंधित है। यह भी स्वीकृत स्थिति है कि उक्त अनादरण मीमो में परिवादी के बैंक अकाउंट का विवरण देते हुए परिवादी की बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा को भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रेषित किया गया है, जिसमें चैक अनादरण का कारण अपर्याप्त निधि होना अंकित है। **यहॉ यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान समय में बैंक से संबंधित सभी कार्य कम्प्यूटर के माध्यम से संचालित होते है जो कि एक स्वचालित प्रक्रिया है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो**ने की सम्भावना बहुत कम होती है। इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में किसी भी बैंक में चैक प्रस्तुत किए जाने के पश्चात उसके अनादरण बाबत जो रिटर्न मीमों जारी किया जाता है, वह कम्प्यूटर से जनरेटेड दस्तावेज होता है, जिस पर केवल मात्र संबंधित बैंक की सील व अधिकारी के हस्ताक्षर न होने मात्र से अस्वीकार नहीं किया जा

सकता है। विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी–अभियुक्त की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य नहीं दी है, जिससे यह प्रकट होता हो कि उक्त प्रदर्श–2 फर्जी व बनावटी दस्तावेज है। इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थी–अभियुक्त की ओर से प्रदर्श–2 के बनावटी, फर्जी इत्यादि साबित करने के संबंध में न तो किसी बैंक अधिकारी को साक्ष्य में तलब करवाने की प्रार्थना की गई है, ना ही इस बिन्दु के संबंध में अपनी ओर से साक्ष्य पेश की गई है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित किये गये आलौच्य निर्णय के संबंध में न्यायालय का मत है कि चैक अनादरण मीमो के संबंध में जो विवेचन व निष्कर्ष पारित किया गया है, उसके संबंध में परिवादी की ओर से पुनः साक्ष्य पेश किये जाने हेतु मौखिक रूप से निवेदन किया गया है, जिसे स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। प्रकरण में पुनः साक्ष्य पेश किये जाने से प्रकरण के किसी भी पक्षकार को कोई विधिक हानि कारित नहीं होगी, क्योंकि परिवादी की ओर से उक्त बिन्दु पर साक्ष्य पेश किये जाने पर अभियुक्त को उससे जिरह का न्यायपूर्ण अवसर भी प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थी–अभियुक्त को भी अपीलार्थी–परिवादी की ओर से पेश की गई साक्ष्य का खण्डन में साक्ष्य पेश किये जाने का अवसर प्राप्त होगा। विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने आलौच्य निर्णय में यह माना है कि चैक अनादरण मीमो ऑफिशियल कैपेसिटी में जारी नहीं किया है, इस बिन्दु के संबंध में परिवादी की ओर से पुनः साक्ष्य पेश किये जाने का निवेदन दौराने अपील बहस किया है, जो भी प्रकरण के न्यायोचित न्याय निर्णयन के लिए न्यायालय के विनम्र मत में स्वीकार किये जाने योग्य है। प्रत्यर्थी–अभियुक्त की ओर से विद्वान विचारण न्यायालय व अपील के दौरान इस तथ्य का खण्डन नहीं किया है कि चैक प्रदर्श–1 पर उसके हस्ताक्षर ना हो।

9. अतः विद्वान विचारण न्यायालय ने हस्तगत प्रकरण में आलौच्य निर्णय दिनांक 21.01.2026 को पारित किया है, जो कि न्यायालय के विनम्र मत में विधिपूर्ण नहीं है, क्योंकि विद्वान विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य की सम्पूर्ण व्याख्या ना करते हुए पारित किया है। अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य निर्णय अपास्त किया जाकर, प्रकरण पुनः विद्वान विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

10. परिणामस्वरू अपीलार्थी–परिवादी दिलीप गुर्जर पुत्र श्री नारायण गुर्जर की ओर से प्रस्तुत यह अपील विरूद्ध प्रवीण सिंह पुत्र श्री धनसिंह व अन्य स्वीकार की जाकर विद्वान विचारण न्यायालय विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) संख्या–4, अजमेर द्वारा फौजदारी प्रकरण संख्या 1239/2023 (836/2017) (सी.आई.एस.नं. 6387/2019) दिलीप गुर्जर बनाम प्रवीण सिंह में पारित निर्णय दिनांक 21.01.2026 को अपास्त

किया जाकर, विद्वान विचारण न्यायालय को आदेश दिया जाता है कि वह पत्रावली तथा अपील में वर्णित आधारों पर पुनः निर्णय दोनों पक्षों की ओर से यदि साक्ष्य पेश करना चाहे तो साक्ष्य पेश करने हेतु समुचित अवसर प्रदान करते हुए, पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का सम्पूर्ण रूप से विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए, उभय पक्ष को पुनः सुनकर इस आदेश से प्रभावित हुए बिना निर्णय पारित करें। पक्षकारान दिनांक 21.08.2026 को विचारण न्यायालय में उपस्थित हो। आदेश की प्रति के साथ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली शीघ्र लौटायी जावे।

(विक्रान्त गुप्ता)
जिला न्यायाधीश, अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 28.07.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विक्रान्त गुप्ता)
जिला न्यायाधीश, अजमेर